



सत्यमेव जयते



**INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand**

e-Stamp

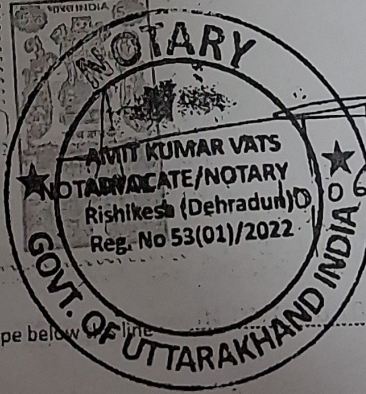
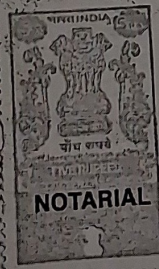


IN-UK75304099430527Y

Certificate No. : IN-UK75304099430527Y
Certificate Issued Date : 10-Jun-2026 02:05 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1211504/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121150455418244275978Y
Purchased by : MOHIT DUBEY
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : VIKRANT SINGHAL
Second Party : MOHIT DUBEY
Stamp Duty Paid By : MOHIT DUBEY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)

सत्यमेव जयते

ANIL SHARMA
Stamp Vendor
Rishikesh - Pithikesh



Please write or type below

किराया अनुबन्ध-पत्र

विक्रान्त सिंघल पुत्र श्री मदन लाल सिंघल, मदनगोपाल, सी-480, तृतीय तल, योजना विहार,
ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110092, आधार 4574 0851 2119प्रथम पक्ष / फ्लैट / सम्पत्ति स्वामी

एवं

मोहित दुबे, पुत्र बिशन स्वरूप दुबे, निवासी- वार्ड नं० 11, हाऊस नं० 110, एकता कॉलोनी, तहसील-
पोंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173025, आधार नं०- 5283 3119 7271द्वितीयपक्ष / किरायेदार

Vikrant Singh

Mohit Dubey

क्रमशः 2

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.ghilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Govt. Holding.
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

Scanned with OKEN Scanner

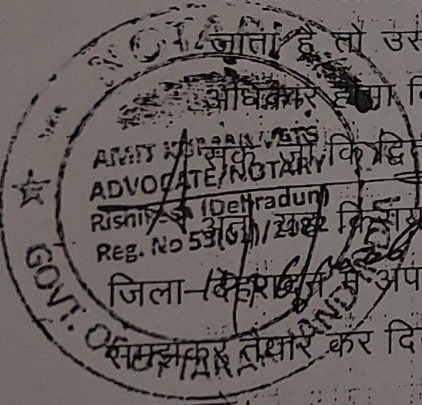
निर्दिष्ट हो कि उपरोक्त प्रथम पक्ष की सम्पत्ति 2 BHK Full Furnished फ्लैट सं0 401, गुरुव
तल, ब्लॉक नं0-6, वीरगढ़ अपार्टमेंट सोसाइटी, पली नं0 6, निर्मल ब्लॉक-बी, विस्थापित
पशुलोक, अरिकेश-249201, जिला-बेहरागन, उत्तराखण्ड में है। जिसका प्रथम पक्ष स्वामी,
मालिक, व काबिज है। यह कि द्वितीय पक्ष के अनुरोध पर प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति / फ्लैट सं0
401 को 11 माह के लिये किराये पर दिया जा रहा है और यह किरायानामा पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार
से निष्पादित किया गया है—

1. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का किराया 16,500/- (सोलह हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह
मेंटिनेंस सहित रहेगा, जो कि द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप
से अदा किया जायेगा एवं बिजली का बिल उपभोग के अनुसार द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को अदा
किया जायेगा।
2. यह कि वर्णित सम्पत्ति की किरायेदारी दिनांक 08.06.2026 से 11 माह के लिए अर्थात् दिनांक
7.05.2027 तक के लिए वैध व प्रभावी होगी और उसके पश्चात उक्त किरायेदारी समाप्त समझी
जायेगी तथा द्वितीय पक्ष सम्पत्ति का पाक-साफ कब्जा प्रथमपक्ष को सौंप देंगे। यदि द्वितीयपक्ष
उक्त वर्णित सम्पत्ति को दोबारा किराये पर लेना चाहेंगे तथा प्रथमपक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति को
दोबारा किराये पर देना चाहेंगे तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक नया किरायानामा आगे
की धवधि के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि एवं नयी शर्तों के साथ निष्पादित किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त वर्णित सम्पत्ति के बाबत प्रथम पक्ष को सिक्योरिटी के रूप में
(सोलह हजार पांच सौ रुपये) अदा कर दिये गये हैं, जो कि सम्पत्ति खाली करते
समय बिना किसी ब्याज के प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को वापस लौटा दी जायेगी और यदि सम्पत्ति में
कोई क्षति फूट पायी जाती है, तो प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह उसकी भरपाई उक्त
सिक्योरिटी से कर सके।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का गैर कानूनी या प्रतिबन्धित कार्य नहीं
किया जायेगा व न ही किसी अन्य को शिकमी किराए पर दी जायेगी और न ही अपने साथ किसी
अन्य को साझीदार या भागीदार बनायेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति पर बिना प्रथमपक्ष की अनुमति से कोई ऐसा कार्य या
तोड़फोड़ आदि नहीं करेगा जिससे कि सम्पत्ति के ढांचे को कोई नुकसान पहुंचे या कोई स्वरूप
परिवर्तन हो।
6. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति को परिवार सहित आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग करेगा
तथा उक्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से अवैधानिक / व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आस-पड़ोस में
व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसा पाये जाने पर किराया अनुबन्ध पत्र तुरन्त निरस्त समझा जायेगा।
8. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति / फ्लैट व साथ में दिया गया सामान उक्त सम्पत्ति को खाली
करते समय चालू व सही अवस्था में चैक करवाकर प्रथम पक्ष को वापस सौंपेगा।

Krant Singh

Mohit Dubey

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वर्णित सम्पत्ति के भाग पर किसी बैंक, वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त नहीं किया जायेगा, और जिस स्थिति में वर्णित सम्पत्ति को किराए पर लिया गया है उसी स्थिति में कब्जा प्रथम पक्ष को सुपुर्द किया जायेगा।
10. यह कि प्रथमपक्ष / सम्पत्ति स्वामी कभी भी अपनी सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु द्वितीय पक्ष को पूर्व सूचित कर आ सकता है, जिसमें द्वितीयपक्ष / किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा किसी एक माह का किराया अदा न करने की स्थिति में प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीयपक्ष की किरायेदारी समाप्त कर दें और उक्त सम्पत्ति / फ्लैट को पुलिस या न्यायालय द्वारा खाली करवा लें, जिसकी सम्पूर्ण हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी उपरोक्त द्वितीय पक्ष की होगी।
12. यह कि लॉक इन पीरियड 6 माह रहेगा, यदि 6 माह से पूर्व द्वितीयपक्ष द्वारा सम्पत्ति को खाली किया जाता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई सिक्योरिटी राशि जब्त मानी जायेगी व 6 माह बाद खाली करने या करवाने की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा 2 माह पूर्व सूचित किया जायेगा।
13. यह कि उक्त फ्लैट में (2 डबल बैड विद मैट्रेस, पर्दे एवं पर्दे की रॉड, 4 सीलिंग फैन, 2 गीजर, 1 आर.ओ., 1 फ्रिज, 1 टीवी विद रिमोट, 2 अलमीरा, सोफा सेट विद सेंटर टेबल, 1 चिमनी, 1 इन्वर्टर विद बैटरी, 2 ए.सी. विद रिमोट) लगा हुआ है, जो कि द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति खाली करते समय प्रथमपक्ष को सौंपेगा और यदि कोई भी सामान खराब या टूटा-फूटा पाया जाता है तो उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष द्वारा किराये से अलग की जायेगी तथा प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त सिक्योरिटी की राशि में से नुकसान की भरपाई को समायोजित करेगा।



जिला-देहरादून में अपने स्वस्थ चित्त व बिना किसी दबाव व बहकावे के रुबरु गवाहान लिख-पढ़ व समझकर तैयार कर दिया है व अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

Krant Singh

प्रथम पक्ष / फ्लैट / सम्पत्ति स्वामी
(विक्रान्त सिंघल)

ह0 गवाह-

Mohit Dubey
ह0 द्वितीयपक्ष / किरायेदार
(मोहित दुबे)

ह0 गवाह-

ATTESTED

AMIT KUMAR VATE
ADVOCATE/NOTARY
Rishikesh (Dehradun)